T. R. 6

चालान नं. ✓

चालान बावत दाखिला रकम जिला/ कोष / उप कोष स्टेट बैंक आफ इण्डिया ......सतना......................

इसे दाखिला करने वालों को भरना होगा ।

जिसके द्वारा रकम लाई गई हो	नाम मोहक्मा या आफीसर तथा पता	पूरा विवरण जिस बावत रकम दाखिला की जा रही	तादाद रकम	बजट का मद्य	बैंक के लिए आदेश
नाम / पता केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली केन्द्रीय विद्यालय क्र-2 सतना 11.7.14 Principal Kendriya Vidyalaya-2, Satna Pin Code 485 001 हस्ताक्षर	श्री नजूल अधिकारी महोदय रघुराजनगर जिला-सतना (म.प्र.) रु 25/- प्राप्त	बावत स्थायी लीज आवंटन प्लाट ग्राम कोलगवां खसरा क्र. 133 प्र. क्र. रकबा 8.00 दिनांक से दिनांक तक 11 JUL 2014 80 टोटल रु0	25=00 25=00	0029 भू-राजस्व नजूल भूमि के लिए	11 JUL 2014

रकम शब्दों में पच्चीस रुपये मात्र

कार्यालय कलेक्टर नजूल जिला सतना (म0प्र0)

प्र0क0/21/अ20(1)/09–10

आदेश

1 आवेदक आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली द्वारा ग्राम अमौधा खुर्द की आ0क0 36 रकवा 19.00 एकड़ का अंश रकवा 10.00 एकड़ के आवंटन की मांग की है।

2 प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर तहसीलदार नजूल से प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार नजूल ने प्रतिवेदन मे ग्राम अमौधाखुर्द की आ0क0 36रकवा 19.00 का अंश रकवा 10.00 एकड़ केन्द्रीय विद्यालय संगठन को आवंटित किये जाने की अनुशंसा की है। दैनिक समाचार पत्र नव स्वदेश दि0 19.12.10 मे प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया है। समयावधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई, आवंटन से संबद्ध विभागों लोक निर्माण विभाग, नगर पालिक निगम, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को पत्र जारी कर अभिमत लिया गया। नगर एवं ग्राम निवेश सतना के पत्र क0 521 दि0 29.05.10 द्वारा सतना विकास योजना 2021 प्रस्तावित होने के कारण शैक्षिणिक उपयोग हेतु अभिमत दिया जाना संभव नही है का उल्लेख किया गया। नगर पालिक निगम सतना के पत्र क0 2168 दि0 21.06.10 द्वारा अभिमत दिया गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा समय सीमा मे कोई अभिमत प्रस्तुत न किये जाने की दशा मे उनकी मौन सहमति मान्य की गई।

3 खसरा पंचशाला वर्ष 2009–10 मे ग्राम अमौधाखुर्द की आ0क0 36 रकवा 19.00 एकड़ वाहय नजूल म0प्र0 शासन दर्ज अभिलेख है। एवं निस्तार पत्रक मे चारागाह के लिए सुरक्षित है।

4 स्थल जांच मे भूमि रिक्त है।

5 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क0 07 के अनुसार पूंजीकृत मूल्य 25.00 रूपये लेकर भारत शासन के विभागों/मंत्रालयों/इकाईयो/सार्वजनिक उपकमों को हस्तानांतरण किये जाने का प्रावधान है।

6 अतः नजूल अधिकारी सतना के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम अमौधा खुर्द की आ0क0 36 रकवा 19.00 एकड़ का अंश रकवा 10.00 एकड़ आर0बी0सी0 खण्ड–1 के क0 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत 25.00 पूंजीकृत मूल्य लिया जाकर आवेदक केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली को भूमि आवंटन की स्वीकृति निम्न लिखित शर्तो के आधीन दी जाती है:–

1 संगठन को शासन के नियमानुसार 25.00 रूपये पूंजीकृत मूल्य जमा करना होगा।
2 भवन निर्माण का नक्शा नगर एवं ग्राम निवेश सतना तथा नगर पालिक निगम सतना से अनुमोदित कराना होगा।
3 सार्वजनिक आवागमन निस्तार मे किसी प्रकार का व्यवधान नही होगा।

उपरोक्त शर्तो के पालन के अभाव मे आवंटन की स्वीकृति स्वमेव समाप्त समझी जावेगी।

Sd.
कलेक्टर
जिला सतना म0प्र0

पृ0क0/ 741 /17/नजूल /11
सतना, दिनांक 11/02/11

प्रतिलिपिः–

1 सचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल।
2 आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली।
3 आयुक्त रीवा संभाग रीवा।
4 अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर सतना।
5 कार्यपालन यंत्री लो0नि0वि0 सतना।
6 आयुक्त नगर पालिक निगम सतना।
7 उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश सतना।
8 तहसीलदार नजूल सतना को सूचनार्थ एवं स्थल पर कब्जा दिलाने हेतु।

[illegible]

कलेक्टर
जिला सतना म0प्र0